

असाधारण **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2050] No. 20501

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2014/आश्विन 16, 1936

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2014/ASVINA 16, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर , 2014

का.आ. 2594(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 7 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6, [िकमी 29.100 से किमी 4.740 (हजीरा से सूरत) और किमी 7.325 से किमी 103.149 (सूरत से महाराष्ट्र/गुजरात सीमा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 8ए [किमी 0.000 से किमी 71.400 को छोड़कर (कांडला – मुंद्रा पत्तन) और किमी 183.500 से किमी 362.160 (गांधीधाम से समखियाली से बामनबोर) तक को छोड़कर|, रारा सं. 8सी, सं. 8डी [(किमी 0.000 से किमी 127.000 (जेतपुर-सोमनाथ) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 8ई, सं. 15 [समखियाली से राधनपुर तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 59 [(किमी 4.200 से किमी 122.420 (अहमदाबाद-गोधरा) और किमी 129.300 से किमी 215.900 (गोधरा-गुजरात/मध्य प्रदेश सीमा) तक], नया रारा सं. 113, सं. 228, नई रारा सं. 56, नई रारा सं. 58, **नई रारा सं. 251, नई रारा सं. 753बी**, नई रारा सं. 848 और नई रारा सं. 848ए और नई रारा 848बी के उतने भाग जो गुजरात राज्य में अवस्थित हैं।

गुजरात

सरकार" ।

[फा. सं. एनएच-14013/5/2013-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 2066 (अ), 14 अगस्त, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi the 8th October, 2014

S.O. 2594(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

" 7	So much of National Highways No. 6 [excluding from km. 29.100 to km. 4.740 (Hazira to	State
	Surat) and km. 7.325 to km. 103.149 (Surat to Maharastra/Gujarat Border)], No.8A	Government of
	[excluding from km.0.000 to km.71.400 (Kandla-Mundra Port) and from Km.183.500 to	Gujarat".
	Km.362.160 (section from Gandhidham to Samakhyali to Bamanbore)], No.8C, No.8D	
	[excluding from km.0.000 to km.127.000 (Jetpur-Somnath)], No.8E, No.15 [excluding the	
	Section Samakhyali to Radhanpur], No.59 [excluding from km. 4.200 to 122.420	
	(Ahmedabad-Godhra) and from km.129.300 to km.215.900 (Godhara-Gujarat/ Madhya	
	Pradesh Border)], No.113, No. 228, new NH No. 56, new NH No. 58, new NH No. 251,	
	new NH No. 753B, new NH No.848, new NH No. 848A and new NH No. 848B as are	
	situated within the State of Gujarat.	
	ž	

[F. No. NH-14013/5/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: -The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4^{th} August, 2005 and last amended vide number S.O. 2066 (E), dated the 14^{th} August, 2014.